12/

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सख्या–**3/एल–06–01–04/2025**– /स्वा0, पटना, दिनांकः

डा0 किशोर कुमार दास (वरीयता कमांक–**8665/2008**), **चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मधेपुरा** को उनके अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार सेवा संहिता के नियम 74(बी0), सहपठित वित्त विभागीय पत्रांक–6190 दिनाक 27 04 1979 में निहित प्रावधान के आलोक में **अधिसूचना निर्गत की तिथि** से इस शर्त के साथ ऐच्छिक सेवा निवृति की स्वीकृति प्रदान की जाती है कि यदि ऐच्छिक सेवानिवृति के पश्चात **डा0 किशोर कुमार दास** के विरूद्ध किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का विषय सज्ञान मे आता है या वे दोषी पाये जाते है तो **डा0 किशोर कुमार दास** की सेवा निवृति लाभो से उसकी भरपाई की जा सकेगी ।

2 **डा0 किशोर कुमार दास** भविष्य मे बिहार सरकार की सेवा में पुनर्नियोजन/संविदागत नियोजन के पात्र नही होगे ।

3. प्रस्ताव मे सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 435(3) /स्वा0, पटना, दिनाक 9/2/26

ई–मेल/
स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले0 एव0 ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

साथ ही अनुरोध है कि **डा0 किशोर कुमार दास** का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि की भुगतान की स्वीकृति हेतु उपार्जित अवकाश आदेयता प्रतिवेदन तथा दीर्घकालीन बाकी/बेवाकी प्रमाण पत्र शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

प्रतिलिपिः अवर सचिव, वित्त (मुद्रणालय शाखा) विभाग, पटना/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, **मधेपुरा**/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, **मधेपुरा**/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, **मधेपुरा**/कोषागार पदाधिकारी, **मधेपुरा** को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2 असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, **मधेपुरा** से अनुरोध है कि ऐच्छिक सेवा निवृत, **डा0 किशोर कुमार दास** का सेवान्त लाभ के भुगतान की स्वीकृति हेतु तीन प्रतियो मे पेशन प्रपत्र, वाछित कागजात सहित शीघ्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे ।

प्रतिलिपिः डा0 किशोर कुमार दास, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मधेपुरा को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः माननीय मत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रशाखा–2, 8, 9 एव 18ए को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

02 निदेश दिया जाता है कि सभी सबधितो के ई–मेल आई0डी0 पर अधिसूचना की प्रति आज ही भेजना सुनिश्चित करे ।

प्रतिलिपिः विभागीय पी0एम0यू0 लीड/डाटा एनॉलिस्ट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव